द्वितीय विधान सभा के अंतिम सत्र के समापन अवसर पर माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

(दिनांक 11 जुलाई, 2008)

द्वितीय विधान सभा के पन्द्रहवॉ सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, जो कि इस विधान सभा के लिये अंतिम सत्र भी है । यह मानसून सत्र 7 जुलाई, 2008 से 11 जुलाई, 2008 तक आहूत रहा । इस सत्र के निर्विघ्न सम्पन्न होने पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूॅ । जैसा कि आपको विदित है, द्वितीय विधान सभा का गठन दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को हुआ था और इसका प्रथम सत्र दिनांक 22 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2003 की अवधि में हुआ । प्रथम सत्र के पश्चात् वर्तमान में द्वितीय विधान सभा का पन्द्रहवॉ सत्र चल रहा है और यह अवसर है जब हम इस बात पर विचार करें कि हम जिस संकल्प और उद्देश्य से हमने जिस मार्ग पर यात्रा आरंभ की थी, हम उसकी पूर्ति में कहॉ तक पहुॅचे? यह अवसर अनेक भावनात्मक अनुभूतियों को लेकर भी है, क्योंकि द्वितीय विधान सभा का यह अंतिम सत्र है और आगामी सत्र अब आम निर्वाचन के पश्चात् होगा, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य की तृतीय विधान सभा का प्रथम सत्र होगा ।

मुझे इस अवसर पर यह कहते हुये अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि द्वितीय विधान सभा के इस कार्यकाल में सभा के सदस्यों ने संसदीय संस्कृति एवं लोकतंत्र के उच्चतम मापदण्डों के अनुरूप अपने कार्य एवं व्यवहार से छत्तीसगढ़ विधान सभा का नाम देश में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने ऐसे अनेक कार्यों को सम्पादित किया और परम्परायें स्थापित कीं, जिनके कारण छत्तीसगढ़ राज्य की इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था का जब भी इतिहास लिखा जायेगा, मैं यह कह सकता हूॅ कि इस कार्यकाल की स्मृतियॉ स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेंगी ।

छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या 44 हैं, वहीं इस विधान सभा में 3 ऐसे भी सदस्य हैं, जो छः बार निर्वाचित हुये हैं, पॉच बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी 3 है, चार बार निर्वाचित सदस्य 5, तीन बार निर्वाचित सदस्य 11 और दो बार निर्वाचित सदस्य 23 है । इस प्रकार इस विधान सभा में परिपक्व एवं अनुभवी सदस्यों के साथ प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत है । नव निर्वाचित सदस्यों की इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद इन सदस्यों ने जिस संसदीय परिपक्वता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपनी उपस्थिति एवं कार्यों से अपनी पहचान स्थापित की । इस हेतु मैं इन सभी को बधाई देता हूॅ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूॅ ।

मैं आज इस अवसर पर द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहॉ उल्लेख करना चाहता हूॅ । छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों को दिनांक 28 जनवरी, 2004 को सम्बोधित किया और उसके पश्चात् अन्य अनेक राज्यों में भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति का सम्बोधन हुआ ।

संसदीय प्रक्रियाओं पर विचार के लिये प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का सम्मेलन भी आयोजित करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ विधान सभा को प्राप्त हुआ और वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने इस प्रतिष्ठापूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर लोक सभा अध्यक्ष सहित अनेक राज्यों के अध्यक्षों के हृदय में छत्तीसगढ़ राज्य एवं इसकी विधान सभा की प्रतिष्ठापूर्ण छवि स्थापित हुई ।

विधान सभा ने सूचना क्रांति के इस युग में अपनी समस्त जानकारियों को पूरे देश एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिये अपनी वेबसाईट का निर्माण यहीं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा करवाकर जन–जन को उपलब्ध करायी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वेबसाईट को निरंतर प्रति दिन अद्यतन किया जाना भी सुनिश्चित किया । शनैः–शनैः वेबसाईट को परिमार्जित करते हुये सभा एवं उसकी समितियों की बैठकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी इस वेबसाईट पर दी जाने लगी। फलस्वरूप अब प्रति दिन की कार्यवाही, प्रदेश के सभा में लिये जाने वाले तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर, प्रति दिन सभा में क्या कार्यवाही सम्पादित हुई, उसका संक्षेप, सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली, प्रदेश के विधायकों एवं सांसदों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी सहित ऐसी अनेक जानकारियॉ छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में लोड़ की गयी, जिसके कारण इस नवगठित राज्य की विधान सभा को और इसमें होने वाली कार्यवाही सभी को सुलभ रूप से प्राप्त हो सकें ।

माननीय सदस्यों को उपरोक्त समस्त जानकारियॉ निरंतर प्राप्त होती रहें, सूचना क्रांति के इस युग में वे सूचनाओं से वंचित न हों, इस उद्देश्य से प्रत्येक माननीय सदस्य को विधान सभा सचिवालय द्वारा लेपटाप भी प्रदान किये गये ताकि उन्हें न केवल इस सभा, इसके सत्र एवं समितियों की जानकारी प्राप्त हो, अपितु वे इसका उपयोग अपने संसदीय कौशल एवं कार्यों को और परिमार्जित कर सकें ।

विधान सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है । यहॉ जन प्रतिनिधि किस प्रकार से लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किन–किन विषयों को उठाया जा रहा है ? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब आम जनता को जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर यहॉ भेजा है, को ज्ञात होना चाहिये, इस दृष्टिकोण से विधान सभा के प्रश्नकाल की रिकार्डेड कार्यवाही प्रति दिन दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करना भी वर्ष 2005 से आरंभ किया गया । यह वस्तुतः एक प्रकार से दर्शक दीर्घा का जन–जन तक विस्तार है । यह विधान सभा आम जनता की है, इस बात को प्रचारित–प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदेश की युवा पीढ़ी यहॉ होने वाले कार्यों से भिज्ञ हो सकें, संसदीय ज्ञान के प्रति उनकी अभिरूचि हो, इसको विचार में लेते हुये प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आमंत्रित कर विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये प्रोत्साहित किया गया ।

मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रदेश कि युवा पीढ़ी उनकी सर्वोच्च प्रचायत के बारे में नहीं जानेंगे तो संसदीय प्रजातंत्र अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता।

संविधान के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी जन–प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिये इस सर्वोच्च पंचायत के कार्य एवं प्रक्रिया से अवगत कराने के लिये पूरे प्रदेश के इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर विधान सभा की कार्यवाही दिखायी गई । विशेष अवसर जैसे 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को इस विधान सभा को आम नागरिकों के लिये खोल दिया जाता है ताकि वे अपनी इस पंचायत को नजदीक से देख सकें, **अर्थात इस द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में इस विधान सभा ने यह प्रयास किया कि इस सभा के बारे में इस प्रदेश की 2 करोड़ 5 लाख जनता जान सके और उनके मन में इसकी गरिमामय छवि स्थापित हो ।**

सभा के सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने के उद्देश्य से माननीय सदस्यों के लिये प्रबोधन कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन किया गया ताकि माननीय सदस्य सभा में अपना कार्य एवं व्यवहार उच्च संसदीय मापदण्डों एवं परम्पराओं अनुसार कर सकें ।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के लिये इस भवन को चयनित किया गया था । इस भवन में समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सभा भवन सहित, समिति कक्षों के कार्य के अनुरूप स्वरूप देकर उन्हें सुसज्जित किया गया ताकि सभा एवं समितियों का कार्य माननीय सदस्य सुविधाजनक रूप में सम्पादित करें । इसके अतिरिक्त इस परिसर में आडिटोरियम का निर्माण भी किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उप राष्ट्रपति के करकमलों से हुआ ।

इस वर्ष माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों के विचार–विमर्श के केन्द्र के रूप में संसद के अनुरूप सेन्ट्रल हॉल की तर्ज पर एक भवन, प्रदेश में ज्ञान के भण्डार का सबसे बड़ा केन्द्र बनाने के उद्देश्य से एक पृथक पुस्तकालय भवन और खेलों के प्रति माननीय सदस्यों की जागृति में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से एक खेल प्रशाल का प्रावधान भी बजट में किया जाकर उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 5 जून, 2008 को सम्पन्न हुआ । माननीय सदस्यों को फिजिकली फिट रखने के उद्देश्य से एक जिम की स्थापना भी विधान सभा में वर्ष 2006 से की गई । मेरे विधान सभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य क्षमता में अभिवृद्धि के लिये आवश्यक था कि उनके निवास की व्यवस्था सचिवालय के समीप ही हो, इस उद्देश्य से लगभग 60 आवास भी विधान सभा के समीप ही निर्मित किये गये ।

इस प्रकार इस द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में यह प्रयास किया गया कि यह विधान सभा सभी साधनों से युक्त हों, ताकि माननीय सदस्य अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें ।

मैं इस अवसर पर उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ ।

सभा में सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार कैसा हो ? संसदीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु विगत 10 वर्ष में संसद द्वारा एकाधिक सम्मेलन एवं कार्यशालायें आयोजित की गई और संसदीय संस्कृति के ह्रास के ऊपर इन सम्मेलनों में चिंतायें भी व्यक्त की गईं । सभा की कम होती बैठकों के संबंध में भी पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में विचार–विमर्श हुआ किन्तु मुझे आज कहते हुये गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा के माननीय सदस्यों ने संसदीय संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन जिस इच्छा शक्ति एवं कौशल से किया, आज के समय में ऐसे उदाहरण विरले ही प्राप्त होते हैं ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा पहली विधान सभा है, जिसमें पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे सभा के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे और यदि विरले अवसरों पर ऐसा हुआ भी तो उन्होंने अपने पर स्वनियंत्रण के उद्देश्य से नियमों में यह भी प्रावधान किया कि गर्भगृह में आने वाले सदस्य स्वमेव निलम्बित हो जायेंगे ।

ऐसे प्रावधान संसद एवं कुछ अन्य विधान सभाओं में किये गये हैं किन्तु मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में नियमों का पालन हुबहु स्वरूप में होता है, यही कारण है कि सभा के गर्भगृह में आने की घटनायें नगण्य हैं और हमने सभा की कार्यवाही में अवरोध की संभावनाओं को मिलजुलकर समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली है ।

छत्तीसगढ़ की विधान सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष का लोक कल्याण के कार्यों में समन्वय भी उल्लेखनीय है । मैं केवल एक–दो अवसरों का ही उल्लेख करना चाहूँगा । नक्सली समस्या पर एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा में चर्चा हुई तो चर्चा के अंत में पक्ष एवं प्रतिपक्ष ने इस समस्या को जड़–मूल से समाप्त करने का संकल्प पारित किया । स्थगन प्रस्ताव का समापन पक्ष एवं प्रतिपक्ष समन्वय से ऐसा करें, मैं समझता हूँ कि एक बिरली–सी घटना है ।

नक्सलवाद की ही समस्या पर इस सभा ने नियमों के अंतर्गत बंद दरवाजे में चर्चा कर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के गंभीर विषय पर गहराई से विचार–मंथन किया और सुझाव दिये । सभा में ऐसे अवसर तो अनेक बार आयें, जब समस्त दलीय परिस्थिति एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विगत कार्यों को सत्तापक्ष और प्राथमिकता देने की बात कहते हुये मंत्रियों की सराहना की । इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के शैशवकाल में ही संसदीय परम्पराओं की जड़े बहुत गहरी पैठ कर गई है ।

द्वितीय विधान सभा में संसदीय समितियों की भी अहम् भूमिका रही है । संविधान एवं उसके अंतर्गत बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत सभा एवं समितियों की यह जिम्मेदारी है कि वे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करें । विधायिका जो राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करती है । सीधे एवं समितियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि उसने जो नीतियॉ एवं कार्यक्रम तय किये हैं अथवा लोक हित के विभिन्न कार्यों हेतु जो राशि कार्यपालिका को उपलब्ध करायी हैं, उस पर समुचित पालन हो रहा है अथवा नहीं ? उसका समुचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?

द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में सभा एवं इसकी समितियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया है । वस्तुतः कार्यपालिका एवं विधान मण्डल के आपसी रिश्ते एक–दूसरे के पूरक है । जहॉ विधायिका के प्रति कार्यपालिका को जवाबदेह होना होता है, वहीं विधायिका भी कार्यपालिका के दैंनदिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हुये यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका, विधायिका द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप ही अपना कार्यकरण संचालित करें । इन सबने समितियों के माध्यम से कार्यपालिका का निरंतर परीक्षण कर लोक कल्याण के कार्यों को नीतियों के अंतर्गत संचालित करने में अपरोक्ष नियंत्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अनेक अवसरों पर सभा ने सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता एवं सभा की सहमति से सभा की समितियों का गठन भी किया गया एवं इन सभा की समितियों ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ में करके अपने कर्तव्यों को निभाया ।

मैं इस अवसर पर सभा की समितियों के सभापति सहित समस्त सदस्यों को भी बधाई देता हूॅ कि न केवल उन्होंने समितियों की बैठकें निरंतर करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया अपितु प्रतिवेदनों के माध्यम से समय–समय पर कार्यपालिका को मार्गदर्शन भी दिया ।

इस अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मीडिया का भी उल्लेख करना चाहता हूॅ । छत्तीसगढ़ राज्य नव गठित राज्य था और सभा की कार्यवाही को जन–जन तक पहुॅचाने की महती जिम्मेदारी मीडिया के प्रतिनिधियों के ऊपर थी । संसदीय विषयों से जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि, सदन की चर्चाओं की हुबहु जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया ।

लोकतंत्र के प्रभावी एवं सुचारू कार्यकरण में मीडिया ने जो भूमिका निभायी, वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है ।

चूंकि आज इस द्वितीय विधान सभा के अंतिम सत्र का अंतिम दिवस है, अतः इस विधान सभा की कार्यवधि में सम्पादित कार्यों का उल्लेख करना भी मैं समीचीन समझता हूॅ।

द्वितीय विधान के प्रथम सत्र की प्रथम तिथि 22 दिसम्बर, 2003 से पन्द्रहवे सत्र की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2008 तक के सम्पन्न कार्यों की जानकारी से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा । इस पन्द्रहवे सत्र तक कुल 182 कार्य दिवसों में कुल 904.35 घण्टे चर्चा हुई । कुल 18356 प्रश्न में से प्राप्त तारांकित प्रश्न 11951 रहे एवं प्राप्त अतारांकित प्रश्न 6405 रहे, इनमें से ग्राह्य तारांकित प्रश्न 5195 रहे, ग्राह्य अतारांकित प्रश्न 4068 रहे और 1601 प्रश्नों पर चर्चा हुई । ध्यानाकर्षण की कुल 5785 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 1493 ग्राह्य एवं 3558 अग्राह्य रहीं । स्थगन की कुल 1465 सूचनाओं में से 334 ग्राह्य एवं 825 अग्राह्य रहीं । अविलंबनीय लोक महत्व के हर विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । नियम 139 के अंतर्गत कुल 152 सूचनाओं में से 61 ग्राह्य रहीं एवं इनमें से 24 सूचनाओं पर चर्चा हुई । अशासकीय संकल्प की कुल प्राप्त सूचनाएं 694 रहीं, जिनमें से 117 ग्राह्य रहीं और 64 में चर्चा हुई ।

इस पन्द्रहवे सत्र तक नियम 267–क के अधीन कुल 1051 प्राप्त सूचनाओं में से 641 ग्राह्य एवं 399 अग्राह्य रहीं । नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा के अंतर्गत कुल प्राप्त 38 सूचनाओं में से 16 ग्राह्य, 20 अग्राह्य, 1 वापस हुई एवं 6 सूचनाओं पर चर्चा हुई । इस सत्र तक कुल 120 विधेयक लाये गये, जिनमें से 118 विधेयक पारित हुये तथा 2 विधेयक वापस हुये (इसके अतिरिक्त एक विधेयक महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाये जाने पर पुनः पारित किया गया ।) । इस सत्र तक कुल 1598 याचिकाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 676 ग्राह्य, 872 अग्राह्य रहीं एवं 529 सदन में प्रस्तुत हुई तथा नियम 142 के अधीन प्राप्त 3 सूचनाओं में से 1 ग्राह्य हुई, जिस पर चर्चा हुई ।

इस अवसर पर सभा में सम्पादित कार्यों की जानकारी देते हुये मैं यह उल्लेख करना चाहता हूॅ कि इस पन्द्रहवे सत्र में 5 कार्य दिवसों में कुल 25 घण्टे 50 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में 345 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 135 रहे, इनमें से 38 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 7.5 प्रश्न का रहा । प्रति दिन इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । नियम 139 के अंतर्गत कुल 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिन पर सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में 11 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 5 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये, उनमें से 3 संकल्प स्वीकृत हुए व 1 संकल्प अस्वीकृत हुआ तथा एक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत हुआ ।

इस सत्र में कुल 77 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से अग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 30 रही तथा 47 ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में परिवर्तित की गई । शून्यकाल की 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 सूचनाएं ग्राह्य व 8 सूचनायें अग्राह्य रही । इस सत्र में कुल 10 विधेयक लाये गये और सभी 10 विधेयक पारित हुये । इस सत्र में कुल 11 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये, वहीं 11 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके अलावा सदन के महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य, अनुपूरक कार्यों का पुरस्थापन एवं पारण भी निष्पादित हुआ ।

इस सत्र में 51 छात्र–छात्रायें, 46 नागरिक एवं 11 अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षुओं ने सभा की कार्यवाही विधान सभा के सचिवालय के माध्यम से देखी।

इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी सद्इच्छा, सद्भावना प्रकट करता हूॅ तथा कामना करता हूॅ कि आपका अपना राजनैतिक और सामाजिक जीवन के साथ–साथ आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय हो। आप सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें । आपके राजनैतिक जीवन में भूमिका चाहे आपकी पक्ष में हो अथवा प्रतिपक्ष में, पर उद्देश्य आपके हृदय में जनसेवा का शाश्वत रूप से बना रहे । यही मेरी इस अवसर पर आप सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है ।

अंत में इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूॅ कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूॅ, उन्होंने सामान्यतः संसदीय मर्यादाओं की परिधि में रहकर अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर सदन के संचालन में जो मुझे सहयोग दिया है वह उल्लेखनीय है । इस

अवसर पर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

सत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

इस द्वितीय विधान सभा के अंतिम सत्र के समापन अवसर पर मैं आप सभी से पुनः आव्हान करता हूं कि आइये – छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने का समवेत रूप से दृढ संकल्प लें।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

– – –